Amendmend- 1-14(d)



HRA an USIUNI The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

H. 7]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 5, 2010/पौष 15, 1931

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 5, 2010/PAUSA 15, 1931

ऊर्जा दक्षता च्यूरो

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2010

सं. 2/11(5)/03-बीईई-4.—कर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 58 की उप-धारा (1) के अधीन यथाअपेक्षित कर्जा दक्षता ब्यूरो (घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) संशोधन विनियम, 2009 का प्रारूप, ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की अविध के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4, तारीख 9 नवम्बर, 2009 में सं. 2/11(5)/03-बीईई-4, तारीख 5 नवम्बर, 2009 द्वारा प्रकाशित किया गया था;

और उक्त प्रारूप विनियमों की राजपत्र प्रतियां पूर्वोक्त राजपत्र में 9 नवम्बर, 2009 को प्रकाशित करा दी गई थीं;

और पूर्वोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में जनता से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अत:, अब, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, उक्त ऊर्जा संरक्षण अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (घ) के साथ पठित धारा 58 की उप-धारा (2) के खंड (झ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) **इन विनियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा** दक्षता ब्यूरो (घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) संशोधन विनियम, 2010 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के विनियम 2 के उप-विनियम (1) में,—
 - (क) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत्र:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--
 - "(कक)" "प्ररुप" से इन विनियमों से उपाबद्ध प्ररुप अभिप्रेत हैं,
 - (ख) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात :---
 - "(गक) "अनुज्ञा-पत्र धारी" से वह व्यक्ति अभिष्रेत है जिसको विनियम 7 के अधीन अनुज्ञा मंजूर की गई है;";

36 GI/2010

3.मूल विनियम में विनियम 5, के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

- "6. लेबत के संप्रवर्श के लिए अनुज्ञा—(1) ब्यूगे की अनुज्ञा प्राप्ति के बिना कोई लेबल घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों पर नहीं लगाया जाएगा ।
- (2) उपविनियम (1) के अधीन ब्यूरो की अनुज्ञा प्राप्त करने के प्रयोखनु के लिए अर्विदन प्ररूप । या इलेक्ट्रानिक रूप में किया जाएगा ।

परतु घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों के प्रत्येक मॉडल के लिए पृथक आवेदन कियां जाएगा ।

- (3) उपविनियम (2) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित लगे होंगे-
- (क) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो नई दिल्ली के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट या संदाय के किसी इलेक्ट्रानिक ढंग द्वारा संदेय एक हजार रुपए की आवेदन फीस ;
- (ख) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो नई दिल्ली के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा संदेय एक लाख रुपए का लेबल प्रतिभूति फीस या संदाय किसी इलेक्ट्रानिक ढंग से ; और
- (ग) उसमें विनिर्दिष्ट दस्तावेज ।
- 7. अनुज्ञा की मंजूरी-(1) विनियम 6 के अधीन प्राप्त आवेदन पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उसमें सभी अपेक्षाओं का पालन किया गया है। ब्यूरो इस प्रकार प्राप्ति की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर विनियम 8 में विनिर्दिष्ट ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन प्ररुप 2 या इलेक्ट्रानिक प्ररुप में धरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों पर लेबल चिपकाने के लिए आवेदक को अनुज्ञा जारी करेगा।
- (2) ब्यूरो प्ररुप 3 में रजिस्टर रखेगा और उसमें अनुज्ञा-पत्र धारी का नामं रजिस्टर करेगा ।
- (3) उपविनियम (1) के अधीन इस प्रकार मंजूर की गई अनुज्ञा, तीन वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगी और जिसे तीन वर्ष की और अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकेगा।
- (4) अनुज्ञा के नवीकरण के लिए कोई आवेदन इसकी समाप्ति से कम से कम तीन मास पूर्व किया जाएगा और उसके साथ कंर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट में या संदाय के इलेक्ट्रानिक ढंग द्वारा संदेय पांच सौ रुपए की फोस लगी होगी ।
- (5) उपविनियम (4) के अधीन नवीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति पर और यह समाधान हो जाने पर कि इसमें साथ सभी अपेक्षाओं का पालन किया गया है, ब्यूरो ऐसी प्राप्ति के एक मास की अविध के भीतर प्ररुप 2 में अनुज्ञा की नवीकरण कर सकेगा।
- 8. लेबल पर विशिष्टियों को प्रदर्शित करने के लिए निबंधन और शर्ते--प्रत्येक अनुज्ञा-पत्र धारी निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों का पालन करेगा, अर्थात :--
- (क) घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों के लेबल पर प्रदर्शित सितारा स्तर अधिनयम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन अधिसूचित घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों के लिए ऊर्जा खपत मानकों के अनुरूप होगा ।
- (ख) लेबल केवल ऐसे घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों के मॉडल पर चिपकाया जाएगा जिसके लिए अनुज्ञा की मंजूरी दी गई है ;

- (ग) अनुज्ञा-पत्र धारी अपनी लागत पर लेबल को मुद्रित करेगा और घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों पर चिपकाएगा ;
- (घ) अनुज्ञा-पत्र धारी यह सुनिश्चित करेगा कि घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों के लेबल पर प्रदर्शित सितारा स्तर हर समय अनुरक्षित रखा जाता है ;
- (ड) आवेदक विनियम 9 में यथाविनिर्दिष्ट लेबल फीस का संदाय करेगा ;
- (च) अनुज्ञा-पत्र घारी लेबलीकृत उपस्कर के उत्पादन के ब्यौरों से अंतर्विष्ट एक विवरण और वित्तीय वर्ष के प्रत्येक तिमाही के आगामी समापन के भीतर प्रत्येक तिमाही के लिए देय उद्भूत लेबल की फीस प्रस्तुत करेगा।
- (छ) अनुज्ञा-पत्र धारी ऐसे अन्य निबंधन और शर्तों का पालन करेगा जिसे ब्यूरो विनिर्दिष्ट करें।
- 9. लेबल फीस-(1) प्रत्येक अनुज्ञा-पत्र धारी ब्यूरो को घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों इस प्रकार चिपकाए गए लेबल पर दस रुपए की लेबल फीस का संदाय करेगा ।
- (2) उपविनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट लेबल फीस प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख से एक मास के भीतर वार्षिक रूप से संदाय की जाएगी :

परंतु इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लेबल फीस का संदाय करने में असफल रहने पर विनियम 6. के उपविनियम (3) के खंड (ख) के अधीन ब्यूरो लेबल प्रतिभूति फीस से उस पर दस प्रतिशत ब्याज सहित संदत्त शोध्य रकम वसूल कर सकेगा।

- 10. लेबल प्रतिभूति फीस का प्रतिदाय—विनियम 9 के उपविनियम (2) के परंतुक के अध्यधीन, घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों का विनिर्माण ना होने पर अनुज्ञा-पत्र धारी लेबल प्रतिभूति के संदाय का हकदार होगा।
- 11. ब्यूरो द्वारा सत्यापन--(1) ब्यूरा, स्वप्रेरणा से या प्राप्त शिकायत पर, यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन करेगा कि घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों सितारा स्तर और लेबल पर प्रदर्शित अन्य विशिष्टियों के अनुरूप और अनुज्ञा के अन्य निबंधन और शर्तों का अनुपालन करता है।
- (2) जहां उपविनियम (1) के अधीन प्राप्त की गई शिकायत का ब्यूरो द्वारा सत्यापित किसी प्रयोगशाला में घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों का परीक्षण अपेक्षित है वहां ऐसे परीक्षण करने के लिए समनुदेशिती को सूचना जारी की जाएगी और शिकायतकर्ता से ब्यूरो के पास परीक्षण, परिवहन और अन्य आनुषंगिक व्यय से संबंधित, जो ब्यूरो द्वारा अग्रिम में अवधारित किए जाएं ऐसे व्यय जमा करने के लिए कहा जाएगा।
- (3) जहां परीक्षण के लिए प्रयोग किए जाने वाले घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों के नमूने परीक्षण में असफल हो जाते हैं, वहां ब्यूरो अनुज्ञा-पत्र धारी अपनी लागत पर घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों के प्रथम परीक्षण नमूनों की दूगनी मात्रा सहित दूसरा परीक्षण को संचालित करेगा।
- (4) जहां दूसरा परीक्षण भी असफल हो जाता है, वहां ब्यूरो यह निदेश देगा कि अनुज्ञा-पत्रं धारी दो मास की अवधि के भीतर,--
- (क) घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों के लेबल पर प्रदर्शित सितारा स्तर को शुद्ध करेगा या परीक्षण के दौरान पाई गई त्रुटियों और किमयों को दूर करेगा ;
 - (ख) ब्यूरों के निदेशों का पालन करने के लिए बाजार से सभी स्टॉक को वापस लेगा ; और
 - (ग) विज्ञापन सामग्री पर प्रदर्शित विशिष्टियों में परिवर्तन करेगा ।

- (5) जहां अनुज्ञा-पत्र धारी उपविनियम (4) के अधीन ब्यूरो द्वारा जारी किए गए निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहां ब्यूरो,—
 - (क) अनुज्ञा वापस ले लेगा ;
 - (ख) उपभोक्तओं को ऐसी रीति में अधिसूचित करेगा जो वह उपयुक्त समझे ;
- (ग) अधिनियम की **धारा 27 के अधीन ऐसे अनुज्ञा-पत्र धारी के विरुद्ध न्यायनिर्णायक कार्रवाइयां** आरंभ करेगा ।
- 12. अनुज्ञा का रहकरण—ब्यूरो, विनियम 7 के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञा को वापस ले सकेगा यदि अनुज्ञा-पत्र धारी,--
- (क) विनियम 8 के अधीन विनिर्दिष्ट किन्ही निबंधनों और शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहता है ;
- (ख) विनियम 9 के अधीन विनिर्दिष्ट अविध के भीतर लेबल फीस का संदाय करने में असफल रहता है।

अजय माथुर, महानिदेशक [विज्ञापन III/4/असा./185/2009]

प्ररुप 1

[विनियम 6 देखिए]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 के अधीन घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों पर लेबल लगाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन ।

सेवा में. महानिदेशक ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार) चौथा तल, सेवा भवन सेक्टर-1, आर.के.पुरम नई दिल्ली-110066 भारत चला रहा हूं/चला रहे हैं इसके ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 के अधीन उपाबंध क में परिभाषित वितरण ट्रांसफार्मरों के संबंध में ब्यूरो द्वारा विहित लेबल के उपयोग के लिए प्राधिकार के समनुदेशन के लिए आवेदन करता हूं/करते 苦!(कारखाने का नाम और पता) में विनिर्माण किया जाता है।

भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण
3. जानकारी का ब्यौरा : उपस्कर, कंपनी, विनिर्माण सुविधा, पश्चिण के लिए प्रमाण पत्र उत्पाद लेबल से
संबंधित जानकारी के ब्यौरे उपाबंध क में दिए गए हैं। फर्मों या सोसाइटियों के रजिस्ट्रार/उद्योग निदेशक
(लघु उद्योग की इकाइयों की दशा में) द्वारा जारी किए गए निगमन प्रमाणपत्र या फर्म के नाम तथा
इसके विनिर्माणकारी परिसरों को अधिप्रमाणित करने वाले उसी प्रकार के अन्य दस्तावेजों की एक फोटो
प्रति संलग्न की जाती है।
क) आवेदक :को (नाम और पदनाम) कंपनी/फर्म/आदि की ओर से इस
आवेदन को करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है और वह इस आवेदन में दी गई जानकारी की सत्यता
के लिए उत्तरदायी होगा ।
ख) संपर्क व्यक्ति :
उपयोग के संबंध में ब्यूरो के साथ समन्वय करने के लिए संपर्क व्यक्ति प्राधिकृत किया जाता है।
ग) मैं/हम ऊपर (क) या (ख) में परिभाषित प्राधिकृत व्यक्तियों में किसी परिवर्तन को जैसे ही यह होता है,
ब्यूरों को संसूचित करने का वचन देता हूं/देते हैं।
4. क्वालिटी मानकों से अनुरुपता : मैं/हम(उपस्कर का
नाम) के लिए
भा.मा./अन्य (मानक का नाम और संख्या)
प्रणाली/अन्य मानकों (मानक का नाम ओर संख्यां) के संबंध में भारतीय मानक/अन्य अंतराष्ट्रीय मानक
ब्यूरो की पुष्टि करता हूं/हैं । उपर्युक्त उपस्कर के संबंध में अनुज्ञप्ति/प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न की
जाती है।
44 (m) m m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3

..... स्थित प्रयोगशाला के ब्यौर :

- क) परीक्षण ब्यौरे : (परीक्षण प्रक्रियाएं/नाम/संख्या)
- ख) प्रत्ययन प्रास्थिति :
- ग) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का अनुमोदन :
- 5. उक्त उपस्कर का उत्पादन और विक्रय के आंकड़े तथा उनका मूल्य मेरे/हमारे ज्ञान के अनुसार तथा प्राक्कलन निम्न प्रकार से हैं :

44	उत्पादन	14374	फुटकर मूल्य (रुपए)
पिछले वर्ष			
6.(क) डीडी सं0 रुपए की आवेदन फीर	स संदत्त की गई हैं।		
(ख) डीडी सं0 की लेबल प्रा रुपए की लेबल प्रा (ग) प्रति लेबल 10 रु0 प्रति ले	तेभूति फीस संदत्त की	गई है।	ह ढंग द्वारा एक लाख
7.मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट र जाने वाली किसी जांच के लिए	सभी निबंधन और शर्तों	का अनुपालन करता हूं/क	
 मैं/हम सत्यापन तथा चुनौतं करता हूं/करते हैं और इस बाब 	ो परीक्षण के लिए नमू	ने के चयन के लिए ऊर्जा	दक्षता ब्यूरो को प्राधिकृत
9. मैं/हम वचनबंध करता हूं/क अगर दी गई जानकारी गलत प	रते हैं कि मेरे सर्वोत्तम	। ज्ञान में आवेदन में दी ग	
तारीख	हस्त		(वर्ष)
		पदनाम	
			(फर्म का नाम)
		के	लिए और उसकी ओर से फर्म की मुद्रा

उपाबंध (प्ररूप 1 का पैरा 3 देखिए) जानकारी के ब्यौरे

1. उपस्कर के ब्यौरे

उपस्कर और प्रकार		
ब्रांड		
मॉडल नाम/संख्या		
सकल आयतन		
भंडारित आयतन		
विनिर्माण का वर्ष		
भारतीय मानक संस्थान के प्रमाणपत्र का ब्यौरा		
(प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)		
क्वालिटी प्रणाली प्रमाणपत्र के ब्यौरा		
(प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)		
ऊर्जा उपभोग (यूनिट प्रति वर्ष) (सीईसी) वाट में		

क्रम सं0	मॉडल का नाम और संख्या		माप	ा गया मूल्य			,	स्टेड मूल्य	
7		सकल आयतन	भंडारित आयतन	ऊर्जा उपभोग (युनिट/वर्ष)	मापी गई सितारा स्तर या ऊर्जा दक्षता	आयतन	भंडारित आयतन	ऊर्जा उपभोग (युनिट/वर्ष)	मापी गई सितारा स्तर या ऊर्जा दक्षता
						36 %	27.45		

2. कंपनी के ब्यौरे

कंपनी का नाम	
पता	
पिनकोड	
राज्य ं	
फोन नं0	
फैक्स नं0	
ई-मेल	
वेब साइट	

नमूना रिपोर्ट

	ETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY	PART III—SEC. 4
3.विनिर्माण सुविधा के स्यौरे		
.पता		
पिनकोड		
राज्य		
फोन नं0		
फैक्स नं0		E PAGE 1
ई-मेल		
वेब साइट		
कोई अन्य ब्यौरे		
4. परीक्षण के ब्यौरों के लिए प्रमाणन		
परीक्षण मानक का नाम, संख्या और वर्ष		
परीक्षण प्रयोगशाला का नाम		
प्रत्यायन प्रस्थिति		
(प्रत्यायन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न		
करें)		
पता		
पिन कोड		
राज्य		
फोन नं0		EN LINES AL
फैक्स नं0	2	PER SERVICE
ई-मेल	第三人称形式 医多种性神经炎 医	Inglish Section
वेब साइट		
5. उत्पाद के ब्यौरे		
प्रारंभ की तारीख		
बीईई के लिए आवेदन किए गए		
लेबलों की संख्या		
प्रथम वर्ष के लिए-		
दूसरे वर्ष के लिए-		
तीसरे वर्ष के लिए		
उत्पाद क्रम सं0	से	तक
परीक्षण रिपोर्ट		

	_		_		_
			Section 14	The Contract of	
•					-
		M	. CD	व्य	ľ

उपस्कर .	
प्रकार	
विनिर्माता/आयातकर्ता/ब्रांड का नाम	
मॉडल नाम/संख्या	
सितारा स्तर	
सकल आयतन	
भंडारित आयत्न	
विनिर्माण का वर्ष	
ऊर्जा उपभोग (युनिट प्रति वर्ष) (सीईसी) वाट में	

7. संदाय के ब्यौरे यदि अग्रिम में संदाय करना प्रस्तावित है (वैकल्पिक)

लेबलों की संख्या	प्रति इकाई लेबल लगाने की फीस	कुलं रकम/संदाय के ब्यौरे	
		रकम : क्रॉस किए गए बैंक ड्राफ्ट के ब्यौरे तारीख :	

तारीख

प्ररूप 2 (विनियम 7 देखिए) अनुज्ञा/अनुज्ञा का नवीकरण सं..... ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

नई दिल्ली, तारीख

सेवा में

1. ऊर्जा दक्षता ब्यूरों (घरेलू फ़ास्ट फ्री प्रशीतकों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 के विनियम 7 के उपबंधों के अनुसरण में, ब्यूरों इस उपाबद्ध में दिए गए अनुमोदन के ब्यौरों के अनुसार लेबल लगाने के लिए अनुज्ञात करता है।

36/6/10-2

- 2. यह अनुज्ञा निम्नलिखित के अध्यधीन है—
- (क) घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों के लिए के लेबल पर दर्शित सितारा स्तर अधिनियम की घारा 14 के खंड
- (क) के अधीन अधिसूचित घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों के लिए ऊर्जा खपत मानक के रूप होगा ;
- (ख) घरेतू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों के केवल ऐसे मॉडलों पर लेबल लगाया जाएगा जिसमें लिए अनुज्ञा की मंजूरा भ गई है ;
- (ग) अनुङ्गा-पत्र धारी की लागत पर घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों पर लेबल की मुद्रित किया जाएगा और लगाया जाएगः !
- (घ) अनुज्ञा-पत्र धारी यह सुनिश्चित करेगा कि घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों के लेबल पर सितार स्तर को हर समय अनुरक्षित किया जाएगा ;
- (ड) अनुज्ञा-पत्र धारी प्रति लेबल दस रुपए की लेबल फीस का संदाय करेगा
- (च) अनुज्ञा-पत्र धारी, वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अंत के आगामी मास के भीतर प्रत्येक तिमाही के लिए लेबलीकृत उपरकर के उत्पादन के ब्यौरे और उद्भूत देय लेबल फीस का विवरण ब्यूरों को प्रस्तुत करेगा और वहीं ब्यौरे ब्यूरों को स्वाचालित प्रणाली से भी प्रस्तुत किए जाएंगे ;
- (छ) अनुज्ञा-पत्र धारी घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों के ऐसे अन्य ब्यौरे उपलब्ध कराएगा जैसा जब ब्यूरो चाहे, जिसके लिए अनुज्ञा को मंजूरी दी गई हैं।
- 3. यह अनुज्ञा......से.........तक विधिमान्य होगी और इसे और यथाविहित रूप में नवीकृत किया जा सकेगा । आप ब्यूरो के पूर्व अनुमोदन के सिवाय अनुज्ञा की विधिमान्य अविध के दौरान बाजार से घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों को वापस नहीं लेंगे ।
- 4. उपस्कर के लिए एकल लेबल श्रंखला.....हं आर इसे लंबल पर अनुमोदित डिजाइन के अनुसार प्रकट होना चाहिए ।
- 5. जहां पुनर्विलोकन पर सितारा स्तर योजना को ब्यूरो द्वारा संशोधित किया जाता है और घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों का सितारा स्तर संशोधित हो जाता है, वहां आवेदक नयी अनुज्ञा प्राप्त करेगा ।
- 6. तारीख.....को हस्ताक्षरित किया गया और मुहर बंद किया गया ।

(सचिव) ऊर्ज़ा दक्षता ब्यूरो

उपाबंध (प्ररुप 2 का पैरा 1 देखिए) अनुमोदन के ब्यौरे

1. उपस्कर के ब्यौरे


उपस्कर और प्रकार	
ब्रांड	
मॉडल नाम/संख्या	
सकल आयतन	
भंडारित आयतन	
विनिर्माण का वर्ष	
ऊर्जा उपभोग (यूनिट प्रति वर्ष) (सीईसी) वाट में	

क्रम सं0	मॉडल का नाम और सं0								
			माप	ा गया मूल्य			, , ,	रटेड मूल्य	
		सकल आयतन	भंडारित आयतन	ऊर्जा उपभोग (युनिट/वर्ष)	मापी गई सितारा स्तर या ऊर्जा दक्षता	सकल आयतन	भंडारित आयतन	ऊर्जा उपभोग (युनिट/वर्ष)	मापी गः सितारा स्तर य ऊर्जा दक्षता

2. लेबल के ब्यौरे

उपस्कर	
सितारा रेटिंग/सितारा स्तर	
प्रकार	
मेक/विनिर्माणकर्ता/आयातकर्ता/ब्रांड मानक	
मॉडल नाम/संख्या	
सितारा स्तर	
सकल आयतन	
विनिर्माण का वर्ष	
यूनीक लेबल श्रंखला कोड	
ऊर्जा खपत (युनिट प्रतिवर्ष) (सीईसी) वाट में	

3. घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों पर लगाए जाने वाले मुद्रित लेबल का अनुमोदित नमूना



पत्र में यूनिक लेबल श्रंखला कोड दिया गया है जिसे घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों पर लगाए गए लेबल पर उल्लिखित किया जाता है।

4. लेबल डिजाइन, आकार, रंग स्कीम और लेबल की अंर्तवस्तु तथा ब्यूरो लोगों की रंग स्कीम को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 की अनुसूची के यथा विनिर्दिष्ट होगी।

000	0	1
ता	7	70

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
के लिए और उसकी ओर से

(फर्म का नाम)

फर्म की मुद्रा

प्ररुप 3 [विनियम 7(2) देखिए] अनज्ञा-पत्र धारियों का रजिस्टर

क्रम	आवेदन	पत्र	अनुज्ञा-पत्र धारी	उपस्कर के	घोषित	बीईई अनुज्ञा	वह अवधि
सं0	संख्यां		का नाम और				
	अनुज्ञा-पत्र	की	ब्यौरे (संपर्क	लिए अनुज्ञा	या दक्षता	यूनिक लेबल	अनुज्ञा मंजूर
	तारीख		व्यक्ति, पता पिन	मंजूर की गई	स्तर	श्रंखला	की गई है
			कोड राज्य, फोन नं0 फैक्स नं0,				
			ई-मेल, वेबसाईट)				
1	2		3	. 4	5	6	7

लेबल प्रतिभूति की सभी रकम	क्रास डिमांड ड्राफ्ट (ब्यौरे) इलेक्ट्रानिक संव्यवहार (ब्यौरे) द्वारा प्राप्त लेबल प्रतिभूति फीस : तारीख :	
8	9	10

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के	देय लेबल फीस व	ी लेबल फीस, प्राप्त रकम	टिप्पणियां
अंत में लगाए गए लेबल	रकम	का ब्यौरा (क्रास डिमांड	
की संख्या		ड्राफ्ट ब्यौरे/इलेक्ट्रानिक	
		संव्यवहार ब्यौरा) ;	
		तारीख :)	
11	12	13	14

BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2010

No. 2/11(5)/03-BEE-4.—Whereas the draft of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Household Frost Free Refrigerators) Amendment Regulations 2009, was published vide number 2/11(5)/03-BEE-4, dated the 5th November, 2009 in Part III, Section 4, of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 9th November 2009, as required under sub-section (1) of Section 58 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby within forty- five days from the date of publication in the official gazette;

And whereas Gazette copies of the said draft regulations were published in the aforesaid Gazette on the 9th November, 2009;

And whereas no objection or suggestion has been received from the public with respect to the said draft regulations within the specified period aforesaid;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of section 14 read with clause (i) of sub-section (2) of section 58 of the said Energy Conservation Act, the Bureau of Energy Efficiency with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

- 1. Short title and commencement. (1) These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Household Frost Free Refrigerators) Amendment Regulations, 2010.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Household Frost Free Refrigerators) Regulations, 2009 (hereinafter referred to as the principal regulations), in regulation 2, in sub-regulation (1),-
 - (a) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:-
 - "(aa)" Form" means a form appended to these regulations;";
 - (b) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:-
 - "(ca) permittee" "means a person to whom permission has been granted under regulation 7;";
- In the principal regulations, after regulation 5, the following regulations shall be inserted, namely:-
- "6. Permission for display of label." (1) No label shall be affixed on a household frost free refrigerator without obtaining the permission for of the Bureau.
- (2) For the purpose of obtaining permission of the Bureau under subregulation (1), an application shall be made in Form-I or in electronic Form;

Provided that separate application shall be made for each model of household frost free refrigerator;

- (3) Every application under sub-regulation (2) shall be accompanied by -
- an application fee of rupees one thousand payable by demand draft drawn in favour of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi or by any electronic mode of payment;
- (b) a label Security Fee of rupees one lakh payable demand draft drawn in favour of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi or by any electronic mode of payment;
- (c) documents specified therein.
- 7. Grant of permission.-(1) On receipt of an application under regulation 6 and after being satisfied that all requirements therein are complied with, the Bureau may, within a period of one month from the date of such receipt, grant, subject to such terms and conditions as are specified in regulation 8, permission, for affixing label on household frost free refrigerator in Form-II or in electronic form.
- (2) The Bureau shall maintain a register in Form-III and enter the name of permittee therein.
- (3) The permission so granted under sub-regulation (1) shall be valid for a period of three years and may be renewed for a further period of three years by the Bureau.
- (4) An application for renewal of permission shall be made at least three months before its expiry and shall be accompanied by a fee of rupees five hundred payable by demand draft drawn in favour of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi or by any electronic mode of payment.
- (5) On receipt of application for renewal under sub-regulation (4) and after being satisfied that all requirements are complied with, the Bureau may, within a period of one month from the date of such receipt, renew permission in Form II.
- 8. Terms and conditions for display of particulars on label. Every permittee shall comply with the following terms and conditions, namely:-
 - (a) The star level displayed on the label of household frost free refrigerator shall conform to energy consumption standards for household frost free refrigerator notified under clause (a) of section 14 of the Act;
 - (b) the label shall be affixed only on such model of household frost free refrigerator for which permission has been granted;
 - (c) the label shall be printed and affixed on the household frost free refrigerator at the cost of the permittee;
 - (d) the permittee shall ensure that the star level displayed on the label of household frost free refrigerator shall be maintained at all time;
 - (e) the permittee shall pay the label fee as specified in regulation 9;
 - (f) the permittee shall furnish to the Bureau a statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labelling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year;

- (g) the permittee shall comply with such other terms and conditions which the Bureau may specify.
- 9. Label Fee. (1) Every permittee shall pay to the Bureau a label fee of rupees ten on each label affixed on the household frost free refrigerator.
- (2) The label fee specified under sub-regulation (1) shall be paid annually within one month from the date of closure of each financial year:

Provided that on failure to pay the label fee within the period so specified, the Bureau may recover the amount due with interest thereon at ten per cent. from the Label Security Fee paid under clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 6.

- 10. Refund of Label Security Fee: Subject to the proviso to sub-regulation (2) of regulation 9, a permittee shall be entitled to a refund of the Label Security Fee on ceasing to manufacture household frost free refrigerator.
- 11. Verification by the Bureau (1) The Bureau may, either suo motu, or on the complaint received by it, carry out verification to ensure that the household frost free refrigerator conforms to the star level and other particulars displayed on its label and that it complies with the other terms and conditions of permission.
- (2) Where upon a complaint received under sub-regulation (1), the Bureau is required to carry out verification, by testing the household frost free refrigerator in a laboratory, a notice shall be issued to the permittee for carrying out such testing and the complainant shall be called upon to deposit such expenses relating to testing, transportation and other incidental expenses with the Bureau, within such time, as may be determined by it.
- (3) Where samples of household frost free refrigerator used for testing fails the test; the permittee shall be afforded another opportunity and the Bureau shall conduct a second test with twice the quantity of household frost free refrigerator used in the first test, at the cost of the permittee.
- (4) Where the second test also fails, the Bureau shall direct that the permittee shall, within a period of two months,-
 - (a) correct the star level displayed on the label of the household frost free refrigerator or remove the defects and deficiencies found during testing;
 - (b) withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau; and
 - (c) change the particulars displayed on advertising material.
- (5) Where the permittee fails to comply with the directions issued by the Bureau under sub-regulation (4), the Bureau shall
 - (a) withdraw the permission:
 - (b) notify the consumers in such manner as it deems fit;
 - (c) initiate adjudication proceedings against such permittee under section 27 of the Act.

- 12. Cancellation of Permission The Bureau may cancel the permission granted under regulation 7 if the permittee -
 - (a) fails to comply with any of the terms and conditions specified under regulation 8;
 - (b) fails to pay label fee within the period specified under regulation 9.

AJAY MATHUR, Director-General [ADVT III/4/Exty./185/2009]

FORM 1 [See regulation 6]

Application for permission to affix label on household frost free refrigerator under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their display on Label of Household Frost Free Refrigerators) Regulations, 2009

To,
THE DIRECTOR GENERAL
BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY
(MINISTRY OF POWER, GOVT. OF INDIA)
4TH FLOOR, SEWA BHAWAN,
SECTOR – 1, R.K.PURAM
NEW DELHI-110 066
INDIA.

busin		of household frost free refrigerator carrying on (full business address) under the
style	of ·	(full business address) under the (full name of individual or firm) hereby
apply	for permission to display label	on household frost free refrigerator as specified
by th	e Bureau in the Bureau of Ene	ergy Efficiency (Particulars and Manner of their ost Free Refrigerators) Regulations, 2009.
	(Name of the company	bove equipment is manufactured or imported by y) and is manufactured at(Name
and a	ddress of the factory)	
equip paym by the Units	ment, company, <mark>manufacturing</mark> ent is given in Annexure . A ph e Registrar of Firms or Societie	details of the information in respect of the facility, certification for test products, labels and notocopy of the certificate of incorporation issued es/Director of Industries (in case of Small Scale authenticating the name of the firm and its
to ma		(Name and Designation) is authorised of the company/firm/etc, and will be responsible ied with this application.
autho	Contact Person: prized contact person for coccation and the use of the Label. GI 110-3	(Name and Designation) is the ordination with the Bureau in respect of this

c) I/We undertake to inti persons defined in (a) or (b) a			
 Conformation to Quali Standard/other international s in accordance with IS/Others specified in the Notification 	tandards in res (name and nur	pect of Quality nber of the sta	System/Other standards ndard) as
the (name of the ed of the above equipment is end I/We have testing arrangement for ensuring consistency in qu	closed. nts at	(Name and a	
Lab details: a) Tests details: (Test prob) Accreditation status: c) Bureau of Energy Effici		number)	
5. Production and sales f the best of my/our knowledge			and the value thereof to
Year	Production	Sales	MRP of the equipment (Rs.)
Last year fromto			
Current year fromto		e dal Chys POT	
(estimate) 6.(a) An application fee of rebeen paid by D.D.Noda			has e.
(b) A label Security Fee of rup been paid by D.D.No.	AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE		has
(c) I/We agree to pay the label	ling fee of rupe	es ten per label	A The second
7. I/We agree to abide by and extend necessary assista to be made by it.			
8 I/we authorise the Bur verification and challenge test in this regard.			selection of sample for directions of the Bureau
9. I/We undertake that the the best of my knowledge, and incorrect; the application may	d should any of	the information	application is accurate to supplied be found to be
Dated this	Sig Na De	signation	
		ame of the firm)

Annexure [See Para 3 of Form 1]

Details of information

1. Details of the Equipment

Equipment and Type	
Brand	
Model name/Number)	
Gross Volume	
Storage Volume	
Year of manufacturing	
ISI certificate details (Attach copy of the Certificate)	
Quality System certificate details (Attach copy of the Certificate)	
Electricity consumption (Units per year)(CEC) in Watts	

SI. No	Model Name / No.		Meas	ured Values			Rate	ed Values		Remarks
		Gross Volume	Storage Volume	Electricity Consumptio n (Units/Year)	Star Level or Energy Efficiency Level Measured	Gross Volume	Storage Volume	Electricity Consumption (Units/Year)	Star Level or Energy Efficiency Level Measured	

2. Details of the Company	
Name of the Company:	
Address	
Pin Code	
State	
Phone No.	
Fax No.	
E-Mail	
Web site	

Address	
Pin Code	The same than the same of the
State	
Phone No.	
Fax No.	
E-Mail	
Vveb site	
Any other details	
A. Certification for Test details	
Name of the Test standard, No. and Year	
Name of the test Laboratory	
Accreditation status	THE BOOK OF THE PARTY OF THE PA
(Attach copy of the accreditation certificate)	
Address	
Addiess	
Pin Code	
State	
Phone No.	
Fax No.	
E-Mail •	
Web site	
5. Product Details	
Date of commencement	
Number of labels applied for BEE	
for the first year -	
for the second year -	
for the third year -	
Product Serial No.	FromTo
Test report	
Sample Label	
6. Label Details	
6. Label Details Equipment	
Туре	
Name of the manufacturer/importer/Brand	
Model Name/Number	